

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/5122

दिनांक: 17/03/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बहरोड़ की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्र.सं	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	कोटपूतली-बहरोड़	बहरोड़	ग्राम पंचायत नांगल खोड़िया का राजस्व ग्राम नांगलखोड़िया का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा का राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा, सोरवा, मावड़ी, नासरपुर, नारेडा कलां, झारोडा, जयसिंहपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत खोहरी का राजस्व ग्राम खोहरी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत हमीदपुर का राजस्व ग्राम हमीदपुर, मुण्डिया खेड़ा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत खरखड़ा का राजस्व ग्राम खरखड़ा, खेड़की, कांकरछाजा एवं कृष्णनगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत गूंती का राजस्व ग्राम गूंती, नालोता का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत शेरपुर का राजस्व ग्राम शेरपुर, गोकुलपुर, शिमला एवं श्यामपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत जागुवास का राजस्व ग्राम जागुवास, मोमनपुर, तलवाड एवं सरविन्दपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत कांकरदोपा का राजस्व ग्राम कांकरदोपा, कल्याणपुरा, नंगला रूध एवं देवनगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत दहमी का राजस्व ग्राम दहमी, दुधेडा, हमजापुर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत मांचल का राजस्व ग्राम मांचल, मिलकपुर एवं खातनखेड़ा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र,

		ग्राम पंचायत रिवाली का राजस्व ग्राम रिवाली एवं भीटेडा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या 56,967)
--	--	--

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( इन्द्रजीत सिंह )

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/5122-5153 दिनांक: 17/03/2025  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर परिषद बहरोड़ में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही एवं पालना हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त जयपुर।
10. जिला कलेक्टर कोटपूतली-बहरोड़ को भेजकर निवेदन है कि नगर परिषद बहरोड़ की सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावे एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कर पालना कराई जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर राजस्थान।
15. आयुक्त, नगर परिषद बहरोड़।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, एवं वार्ड पंच संबंधित ग्राम पंचायत ..... के राजस्व ग्राम.....।
18. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Latter/2025